कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, बलरामपुर

संख्या 813 /जि0आ0अ0/आब0नीति–पालिसी/2021–22/बलरामपुर दिनांक जनवरी, 07 2022

सेवा में,

जिला सूचना विज्ञान अधिकारी
(एन0आई0सी0)
बलरामपुर

विषयः– आबकारी नीति 2022–23(की पालिसी)एन0आई0सी0 की वेवसाइट पर अपलोड करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2022–23 की आबकारी नीति विषयक शासनादेश संख्या–02/2022/01 ई–2/तेरह–2022–01/2020–1419282 दिनांक 01.01.2022 के अनुपालन में आपको इस आशय से प्रेषित है कि आबकारी दुकानों की विज्ञप्ति, विवरण पत्र, शपथ पत्र एवं आबकारी नीति शासनादेश–2022 को एन0आई0सी0 की वेवसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

07.01.2022

(राजेश त्रिपाठी)
जिला आबकारी अधिकारी
बलरामपुर।

Scanned with CamScanner

कार्यालय कलेक्टर/लाइसेंस प्राधिकारी, बलरामपुर।

विज्ञप्ति संख्या 801 /व्यवस्थापन/2022–23/बलरामपुर/ दिनांक, 06 जनवरी, 2022

वित्तीय वर्ष 2022–23 की आबकारी नीति विषयक शासनादेश संख्या–02/2022/01 ई–2/तेरह – 2022–01/2020–1419282 दिनांक 01.01.2022 एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–19938/दस–लाइसेंस–367/सुझाव आबकारी नीति/2022–23 दिनांक 02.01.2022 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद बलरामपुर में वर्ष 2022–23 हेतु देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडलशॉप एवं भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन दिनांक 09.01.2022 से प्रारम्भ होगा। सर्वप्रथम वर्ष 2021–22 में व्यवस्थित एवं नवीनीकरण के लिए अर्ह पायी गयी दुकानों के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र दिनांक 09.01.2022 (समय प्रातः10बजे) से दिनांक 21.01.2022 (समय सायं 05 बजे) तक ई–लाटरी पोर्टल www.upexciseelottery.gov.in पर ऑनलाइन आमंत्रित कियें जाते है। ऑनलाइन नवीनीकरण के पश्चात् जनपद की अवशेष मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन ई–लाटरी के प्रथम चरण के माध्यम से दिनांक 12.03.2022 (समय 12 बजे) से किया जायेगा।

जनपद में मदिरा एवं भांग की फुटकर बिक्री की दुकानों का नवीनीकरण एवं अवशेष दुकानों को ई–लाटरी के माध्यम से प्राप्त करने हेतु इच्छुक एवं अर्ह आवेदक जनपद की दुकानों की सूची, अन्य आवश्यक विवरण एवं शर्ते जनपद की वेबसाईट www.balrampur.nic.in तथा ई–लाटरी पोर्टल www. upexciseelottery.gov.in पर देखी जा सकती है।

06.01.22

(राजेश त्रिपाठी)
जिला आबकारी अधिकारी,
बलरामपुर।

(श्रुति)
कलेक्टर/लाइसेंस प्राधिकारी
बलरामपुर।

संख्या 802-03/तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्पादक, अमर उजाला, हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण जनपद बलरामपुर को इस आशय के साथ कि उक्त विज्ञप्ति को बलरामपुर संस्करण में डी0ए0वी0पी0 दर पर प्रकाशित कराया जाना सुनिश्चित करें।
2. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, बलरामपुर को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त विज्ञप्ति को जनपद की वेबसाईट पर प्रदर्शित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

06.01.22

(राजेश त्रिपाठी)
जिला आबकारी अधिकारी
बलरामपुर

Scanned with CamScanner

संलग्नक – 3

उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग की देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/बीयर/माडल शाप/ की फुटकर दुकानों के वर्ष 2022-23 के लिए नवीनीकरण हेतु

शपथ-पत्र का प्रारूप

(रूपये 10 /- के नानजुडीशियल नोटेराइज्ड स्टैम्प पेपर पर दिया जायेगा)

1- यह कि शपथकर्ता.. पुत्र/पुत्री/पत्नी .... निवासी .... दुकान-देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/बीयर/ माडल शाप/ .... शाप आई0डी0 .... जनपद.. का वर्ष 2021-22 हेतु अनुज्ञापी है।

2- उक्त दुकान के लिये शपथकर्ता आवश्यक सभी अर्हतायें रखता है।

3- यह कि शपथकर्ता अपनी उपरोक्त दुकान का वर्ष 2022-23 हेतु नवीनीकरण कराना चाहता है तथा अपनी उक्त दुकान को वर्ष 2021-22 हेतु अनुमोदित चौहद्दी पर संचालित करेगा।

4- यह कि शपथकर्ता ने वैध हैसियत प्रमाण-पत्र अथवा अधिकृत आयकर वैलुअर से निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण-पत्र की प्रति पोर्टल पर अपलोड कर दी है।

5- यह कि शपथकर्ता की उपरोक्त दुकान की अंतिम व्यपगत मास तक की समस्त देयतायें बेबाक हैं।

6- यह कि शपथकर्ता की उपरोक्त दुकान की वर्ष 2021-22 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित है।

7- यह कि शपथकर्ता वर्तमान अनुज्ञापन को पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से दिनांक 31 मार्च, 2022 तक संचालित करेगा और कोई ऐसा कार्य नही करेगा, जिससे गंभीर अनियमितता अथवा अनुज्ञापन निरस्तीकरण की स्थिति उत्पन्न हो।

8- यह कि शपथकर्ता शासन द्वारा जारी अद्यतन निर्देशों के अनुसार माह मार्च 2022 तक की अवधि हेतु निर्धारित एम0जी0क्यू0/कुल राजस्व के समतुल्य निकासी लेगा।

9- यह कि शपथकर्ता अवगत है कि माह मार्च 2022 तक की अवधि हेतु निर्धारित एम0जी0क्यू0/कुल राजस्व के समतुल्य निकासी न लेने पर उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसकी वर्ष 2021-22 की प्रतिभूति धनराशि का 15 प्रतिशत एवं वर्ष 2022-23 की नवीनीकरण फीस व लाइसेंस फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी। प्रतिभूति की जब्ती की दशा में वर्ष 2021-22 हेतु आवश्यक प्रतिभूति की वह प्रतिपूर्ति करेगा।

10- यह कि शपथकर्ता ने संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910 एवं संबंधित नियमों एवं आदेशों तथा आबकारी नीति वर्ष 2022-23 को भली भाँति समझ लिया है। शपथकर्ता आबकारी विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों/निर्देशों का पालन करेगा। वह वर्ष 2021-22 की शेष अवधि में तथा वर्ष 2022-23 में फुटकर दुकान के व्यवस्थापन की संगत नियमावली का पालन करेगा और नियामवली के किसी प्राविधान का उल्लंघन पाये जाने पर उसका अनुज्ञापन निरस्त कर दिया जाये।

11- यह कि शपथकर्ता ने वर्ष 2022-23 हेतु निर्धारित नवीनीकरण फीस/एम0जी0क्यू0/बे0ला0फी0/लाइसेंस फीस/प्रतिभूति धनराशि/त्रैमासिक कुल प्रतिफल शुल्क आदि की जानकारी प्राप्त कर ली है तथा वह उपरोक्त के संबंध में शासन द्वारा जारी अद्यतन निर्देशों का पालन करेगा।

12- यह कि शपथकर्ता ने अपने बैंक खाते का त्रुटिरहित विवरण पोर्टल पर भर दिया है और भविष्य में उसे होने वाले समस्त भुगतान, यदि कोई हो, को उक्त बैंक खाते में ही प्राप्त करने पर सहमत है।

उपरोक्त क्रमांक 1 से 12 तक के बिन्दुओं में दी गयी सूचनायें सत्य है।

हस्ताक्षर शपथकर्ता.....................